न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– जेठमल बनाम घनश्याम आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 118 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
09.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 6 व 7 बावजूद रजिस्ट्रर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। वकील उभय पक्ष की बहस टी0आई0 सुनी गई। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.25 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम समर्थपुरा प0ह0 डूकिया भू0अ0नि0 डूकिया तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 702 रकबा 1.0900 है0 ख0नं0 711/2526 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1900 है0 के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था। चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ पेश किया है, जिसमें पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान को सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम समर्थपुरा प0ह0 डूकिया भू0अ0नि0 डूकिया तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 702 रकबा 1.0900 है0 ख0नं0 711/2526 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1900 है0 भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक भूमि के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	